

बजट अनुमान 2025-26 में योजनावार प्रावधान

(आंकड़े हजार रुपयों में)

योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान
122	अधीक्षण	65,00,67
1111	आबकारी सामग्री की खरीद	18,50
1470	जिला कार्यपालिक स्थापना	89,00,10
1480	जिला प्रभार	31,00,07
1509	जिला स्थापना	113,80,59
2455	न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय	3,00,00
2456	न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत	13,00,00
2956	बिक्री कर	3,05,00
3569	मुख्यालय स्थापना व्यय	35,00,89
4034	विभागीय मदिरा दुकानों को संचालन	26,04
4173	स्पिरिट की खरीद	10
4606	स्टाम्प एवं पंजीयन	22,00,00
4608	स्टाम्प और पंजीयन	55,00
4611	स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	30,00
4612	स्टाम्पों की लागत	2,50,00
4613	स्टाम्पों के साथ प्रयोग में आने वाले सादे कागज का क्रय	1,00
4614	स्टाम्पों के साथ प्रयोग में आने वाले सादे कागज पर बट्टा	10
6003	मुख्यालय की स्थापना	14,10,92
6734	विभागीय रासायनिक प्रयोग शाला	41,90
6810	वाणिज्यकर अधिकरण	1,75,21
7042	बिजनेस इंटेलीजेन्स यूनिट	41,00,00
7043	छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिकरण	4,50,20
7428	छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम १९८२ के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण	40,00,00
7429	छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये स्टाम्प शुल्क का अंतरण	80,00,00
7849	छ.ग. राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन	10
8629	नये सिनेमाघर/ मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर को प्रोत्साहन	9,00,00
योग		569,46,39